

एसपी ने शहर का भ्रमण कर लोगों को किया सामाजिक दूरी के लिए जागरूक



अमर भारती संवाददाता रामपुर। एसपी ने शहर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ भ्रमण कर सदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा लोगों को कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए तथा सामाजिक दूरी के प्रति जागरूक भी किया गया। शुक्रवार को को पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम द्वारा कोविड-19 वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए भारी पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र के शरीफ मार्केट, चाकू मार्केट आदि कई स्थानों पर भ्रमण

ईओ की लापरवाही के चलते वार्ड सभासद ने स्वयं की नालियों की सफाई सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने से संचारी रोगों के फैलने की आशंका जताई

अमर भारती संवाददाता

मसवासी। सभासद अंकित शर्मा ने नगर पंचायत मसवासी के अधिशासी अधिकारी अवधेश मिश्रा की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आज स्वयं ही अपने हाथ से सफाई करना प्रारंभ कर दिया। जिससे मोहल्ले वालों में भी हड़कंप मच गया।



संक्रमण कोविड-19 काल में सफाई सफाई व्यवस्था में रहना चाह रहा

है। सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में संचारी रोगों की गिरफ्त में भी पूरा नगर साफ सफाई ना होने के वजह से आया हुआ है लेकिन अधिशासी अधिकारी के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही नगर के वार्ड नंबर 3 के सभासद अंकित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिशासी अधिकारी से अनेकों बार नालियों की सफाई को कहा गया जगह जगह कूड़ा पड़ा होने की शिकायत भी की गई लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया गया जिस

पर स्वयं ही सफाई का निर्णय लिया गया है। वार्ड सभासद का सफाई करते हुए वीडियो भी वायरल कर दिया गया है नगर में काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी अवधेश मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल पंगू हो गई। यहां पर उच्च अधिकारियों को सफाई व्यवस्था की जांच करनी चाहिए सरकार द्वारा सफाई पर लाखों करोड़ों रुपये खर्च किया जा रहा है लेकिन यहां इसका लाभ नहीं

मिल पा रहा है। इससे यहां संचारी रोगों के फैलने की आशंका बनी हुई है नगर में आज जगह-जगह गंदगी भरी पड़ी है। नाले नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। जिस पर वार्ड सभासद अंकित शर्मा ने स्वयं ही नालियों की सफाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने अधिशासी अधिकारी अवधेश मिश्रा पर आरोप लगाया कि पूरे नगर में जहां-तहां कूड़े के ढेरों नाले नालियों में गंदगी भरी पड़ी है। उन्होंने उच्चाधिकारियों से शोध ही कारवाई की मांग की है।

बिलासपुर विधानसभा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल सम्मेलन संपन्न

अमर भारती संवाददाता

रामपुर। भारतीय जनता पार्टी का बिलासपुर विधानसभा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश मंत्री त्रयंबक नाथ त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट नीति एवं मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है चाहे वह धारा 370 का मामला हो सीएए का मामला हो या सीमाओं पर पाकिस्तान अथवा चीन से निपटने का मामला हो अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के साथ सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश मंत्री त्रयंबक नाथ त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट नीति एवं मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है चाहे वह धारा 370 का मामला हो या सीमाओं पर पाकिस्तान अथवा चीन से निपटने का मामला हो अपनी मजबूत इच्छाशक्ति के साथ सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं

वह आपके सामने है कोरोना के आपदा काल में भी प्रधानमंत्री मोदी ने सही समय पर सही निर्णय लेकर पूरे विश्व में भारत की स्थिति को बेहतर बनाया है। भाजपा केवल राजनीतिक संगठन ही नहीं है बल्कि उसके कार्यकर्ता समाज सेवा में भी बंध चढ़कर हिस्सा लेना जानते हैं। सभी भाजपा के सभी कार्यकर्ता और नेतागण बर्खास्त के पात्र हैं। त्रिपाठी ने संगठन की चर्चा करते हुए कहा कि 5 अगस्त तक सभी बूथ समितियों का सत्यापन करना है। बूथ को मजबूत करना है। हम अगर बूथ को मजबूत कर पाए तभी हमारा बूथ जीत पाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को सुदृढ़ मजबूत और सत्यापित करना है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औरलख ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी

116 लीटर कच्ची शराब समेत पांच दबोचे

अमर भारती संवाददाता

रामपुर। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के आदेशानुसार जनपद में अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अलग-अलग थाना क्षेत्र की पुलिस ने पांच लोगों को 116 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार थाना खजुरिया पुलिस ने शुक्रवार को अवैध शराब बेचने जा रहे कुन्दनलाल पुत्र पूरनलाल निवासी पनवड़िया को गुरुद्वारा सिरधरपुर के पास से गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद हुई।



जनपद में अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अलग-अलग थाना क्षेत्र की पुलिस ने पांच लोगों को 116 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया

इसके अलावा थाना बिलासपुर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से लखव्दर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम रामनगर को करीब 16 लीटर अर्धनिश्चित शराब खाम व 250 ग्राम यूरेया के साथ माखेडा रोड निम्नत पुल बार्डपास से गिरफ्तार किया तथा दूसरा अभियुक्त जसवन्त

इसी क्रम में थाना टांडा पुलिस ने 40 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ दो अभियुक्तों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। जिनके

कब्जे से 20-20 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद हुई। पकड़े गए अभियुक्त थाना टांडा रघुपुर निवासी अशाराम पुत्र मंधाराम तथा थाना टांडा क्षेत्र के ग्राम दलेल नगर निवासी प्रीतम पुत्र टीकाराम हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ आवकरी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

नपा ने जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर चलाया अतिक्रमण सफाई अभियान नगर में बैंकों के बाहर रखे जनरेटर के जल्द हटाने के दिये निर्देश

अमर भारती संवाददाता

टांडा। नगर में जॉइंट मजिस्ट्रेट आईएसएस गौरव के निर्देश पर नगर के मुख्य मार्गों पर फैले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अभियान चलाया।



नगर में थाने के सामने नगरपालिका द्वारा शौचालय पर गंदगी देख मड़के अधिशासी अधिकारी, सफाई कर्मचारियों को लगाई फटकार

पालिका प्रशासन ने सड़क पर किये गए अतिक्रमण को हटवाने हुए दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। और दुकान के आगे लगे फड आदि अतिक्रमण को नगरपालिका की गाडी में भर लिया।

अभियान के दौरान थाने के सामने बने शौचालय पर गंदगी देख अधिशासी अधिकारी राजेश सिंह राणा भड़क गए। और सफाई कर्मचारियों को लताड़ लगाई साथ

उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को अतिक्रमण हटवाने के सबह निर्देश दिए। जॉइंट मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर अधिशासी अधिकारी राजेश राणा ने भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।

अधिशासी अधिकारी ने मुख्य मार्गों पर लगे ठेलों व फड़ लगाकर

युवक की हत्या में सगा भतीजा गिरफ्तार

अमर भारती संवाददाता

टाण्डा/खार। कोतवाली क्षेत्र की मसवासी चौकी के गांव में पांच दिन पूर्व घर के पास घेर में सो रहे युवक की अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया था। कोतवाली पुलिस ने पांच दिनों में ही घटना का खुलासा कर दिया। युवक की हत्या उसके सगे भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पाटल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। हत्या की वजह संपत्ति का बंटवारा बताया गया है।

गौतमलोक हो कि क्षेत्र के उमनगर की मसवासी चौकी के गांव सीतारामपुर में बीती 12 जुलाई को घर के पास घेर में गांव निवासी कन्हैयालाल पुत्र गिरवाल सैनी अपने परिवार के साथ सो रहा था। देर रात अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। तब तक की

आदती के यहाँ रहते थे। लोक डउन के बाद जब गांव बापस लौटे तो देखा कि उसके चाचा कन्हैयालाल ने एक खेच चक्रोड की साइड से बिना सही बटवारे के जोत लिया था। जिसको लेकर दोनों का झगड़ा हुआ था। जिसपर गुस्से में उसने अपने चाचा कन्हैयालाल की। हत्या कर दी।

व्यवसायिक संवाददाता बनने के लिए कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक

अमर भारती संवाददाता

रामपुर। राज्य सरकार द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत चिन्हित स्वच्छकार व उनके आश्रितों में से जनपद में 05 युवाओं को 3009 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के विकास निगम लि0 श्री जगत भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चिन्हित स्वच्छकार अथवा उनके आश्रितों में बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय संवादाता को कम्प्यूटर हार्डवेयर

साफ्टवेयर फिगर प्रिंट मशीन, स्वीपिंग मशीन, इनवर्टर खरीदने के लिए ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। व्यवसाय संवादाता राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। इसके लिए संवादाता बैंक सिवयोरिटी के रूप में व्यवसाय संवादाता से 15 हजार जमा करने के बाद जमा धराराशि की सीमा के अंतर्गत व्यवसायिक संवादाता ग्राहकों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाता, आवृत्ती जमा खाता, किसान क्रेडिट कार्ड नामांकन आनलाइन धनराशि हस्तांतरित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि व्यवसायिक संवादाता बनने हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट तथा कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक है।

तहसीलदार ने रुकवाया अवैध खनन

अमर भारती संवाददाता

टाण्डा/खार। बिना परमिशन के खेत जेसीबी मशीन से अवैध खनन कर विभिन्न स्थानों पर लाकर पटन किया जा रहा है। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार ने खनन को रुकवा दिया। अभिलेख मांगने पर कोई भी अभिलेख न दिखा सका। अवैध खनन के चलते कई गांवों की सड़के जर्जर होकर रह गई हैं। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने कोसी नदी के घाटो पर सख्ती की तो कारोबारी गांव में सक्रिय हो गए हैं। इन कारोबारियों को न तो पुलिस का डर न ही अफसरों की कार्रवाई की चिंता है। आलम यह है कि क्षेत्र में किसानों के खेतों से बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। पटन के लिए जेसीबी मशीन से मिट्टी खोदकर डंपरो में ओवरलोड भर सड़को पर सरपट दौड़ रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर पटन कर रहे हैं।


शुक्रवार को क्षेत्र के गांव नानकार रानी का मझरा बालानगर में नदी किनारे किसान के खेत से जेसीबी

मशीन द्वारा अवैध खनन कर डंपरो में भर सफाई किया जा रहा है। सूचना पर तहसीलदार रणविजय सिंह, कानूनी पुष्पराज सिंह राजन्व टिम के साथ मौके पर पहुंचे गए। खनन कारोबारी फरार हो गए। तहसीलदार ने परमिशन मांगी तो कोई भी अभिलेख नहीं दिखा सके। तहसीलदार ने जेसीबी चालक को जमकर हड्कनाय और पुनः बिना परमिशन के खेत से अवैध खनन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अवैध खनन से भरे ओवरलोड डंपर मार्गों पर खुलेआम दौड़ते देखे जा सकते हैं। ओवरलोड डंपरो के संचालन से क ई गांवों की सड़के जर्जर हो चुकीं हैं। ग्रामीणों की माने तो अवैध तरीके से खनन का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। तहसीलदार रणविजय सिंह ने बताया की अवैध खनन की सूचना पर छापामार कार्रवाई की थी। बिना परमिशन के जेसीबी मशीन से खेतों से मिट्टी का खुदान किया जा रहा था जिसे बंद कर दिया गया है।

कुछ लाभार्थी अपात्र होते हुए भी प्राप्त कर रहे पेंशन योजनाओं का लाभ

अमर भारती संवाददाता

रामपुर। सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पात्रों के सत्यापन के दौरान कुछ लाभार्थी मृतक पाए जा रहे हैं वहीं कुछ लाभार्थी ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो अपात्र होते हुए भी पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिलाधिकारी आन्वनेय कुमार सिंह ने ऐसे अपात्र लोगों को चिन्हित करने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही पात्र लाभार्थियों तक पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्षता में जिला स्तर पर 05 सदस्यीय समिति, तहसील स्तर पर संबंधित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में



04 सदस्यीय समिति एवं ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति के साथ ही पात्र लाभार्थियों तक पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई है। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्षता में जिला स्तर पर 05 सदस्यीय समिति, तहसील स्तर पर संबंधित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में

अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सफाई नायक की समिति गठित की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए तिथि वार कार्य योजना के अनुसार 26 व 27 जुलाई 2020 को प्रत्येक ग्राम में अपात्रों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 28 जुलाई से 31 जुलाई तक अपात्रों से प्रत्यावेदन एवं पात्रों से आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 01 अगस्त से 03 अगस्त तक चिन्हित अपात्रों से प्राप्त प्रत्यावेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। 04 अगस्त से 05 अगस्त के बीच नवीन आवेदन पत्रों का स्थलीय सत्यापन एवं अभिलेखीय परीक्षण किया जाएगा। 06 अगस्त से 08 अगस्त तक विकास खण्ड एवं तहसील स्तर पर संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों

का रैंडमली सत्यापन कराते हुए 09 एवं 10 अगस्त को जनपद स्तर पर संबंधित नोडल विभाग को अप्रसारित किए जाएंगे। जिला प्रोवैशन अधिकारी श्री राजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सर्वप्रथम सभी अपात्र लाभार्थियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोकते हुए पात्र व अपात्रों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाएगी तथा ग्राम एवं वार्डों में समिति द्वारा आयोजित खुली बैठकों में सूची की पडकर सुनाया जाएगा। तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित अपात्र एवं पात्र लाभार्थियों के कुल डाटा का 20 प्रतिशत विकासखण्ड एवं तहसील स्तरीय समिति द्वारा रैंडमली सत्यापन के उपरांत जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कुल डाटा के 10

प्रतिशत लाभार्थियों का रैंडमली सत्यापन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्यापन हेतु तैयार की गई पूरी कार्ययोजना की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक रूप से खुली बैठकों का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे साथ ही अपात्रों को भी चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध जांच करके कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि खुली बैठकों के आयोजन के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत मास्क पहनने एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जिलाधिकारी

अमर भारती संवाददाता

रामपुर। जिलाधिकारी आन्वनेय कुमार सिंह लगातार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने तथा मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने शहर के कोतवाली, मिट्टनगंज, गांधी समाधि, सिविल लाइन एवं शाहबाद गेट सहित विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया तथा लोगों को जागरूक भी किया। जिलाधिकारी ने बीती रात करीब 9:45 बजे शहर का जायजा लिया इस दौरान शाहबाद गेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुछ दुकाने खुली पाई गई जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जुर्रमाना

लगाए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए साथ ही दुकान संचालकों को निर्देशित किया कि नियमानुसार रात को 9:00 बजे के बाद किसी भी दशा में दुकाने नहीं खुली होंगी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। भ्रमण के दौरान निर्धारित समयावधि के बाद भी खुली पाई गई दुकानें एवं मास्क न पहनने वालों पर 6000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी शाहबाद गेट पहुंचे जहाँ उन्होंने 03 छोटे-छोटे बच्चों को बैलून बेचते हुए देखा। जिलाधिकारी तुरंत बच्चों के पास पहुंचे तथा उनसे बैलून की कीमत के बारे में पूछे और प्रत्येक को 500 रुपये देकर भर भेज दिया। उन्होंने

कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं संक्रमण के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में आती हैं इसलिए सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह एक अनावश्यक रूप से घरों से निकलने का नहीं है। जिस प्रकार शासन एवं प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह अपने दैनिक कार्यों को फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के साथ ही अन्य जरूरी सावधानियां अपनाते हुए ही संपादित करें परंतु भ्रमण के दौरान लोगों द्वारा मास्क पहनने अथवा गलत तरीके से मास्क पहनने के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की शिकायतें अत्यंत आपत्तजनक हैं।